

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

संघिका संख्या-4/आ0-02-1006/2017. 32/0 राँची, दिनांक-12/9/19

श्री रामदेव झा, नलकूप मिस्त्री, प्रशाखा-2, मधुपुर द्वारा समर्पित शिकायत पत्र के आलोक में विभाग द्वारा मामले की जाँच हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका से अनुरोध किया गया था। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन कंडिका 3.01.19 में श्री नवीन भगत, सहायक अभियन्ता को कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्वचारिता तथा उदण्डतापूर्वक पत्राचार करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर विभागीय पत्रांक-1598 दिनांक-11.04.2018 द्वारा श्री भगत से कारण पृच्छा की गयी।

2. श्री भगत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री भगत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका का मंतव्य प्राप्त किया गया है।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, दुमका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य तथा श्री भगत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त श्री भगत के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 3787 दिनांक 12.09.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

5. उक्त के क्रम में जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री भगत के विरुद्ध जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री भगत के विरुद्ध अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 2454 दिनांक 12.07.2019 द्वारा श्री भगत से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसके अनुपालन में श्री भगत द्वारा विभाग को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

6. तत्पश्चात् श्री भगत द्वारा विभाग को समर्पित द्वितीय कारण का जबाब एवं जाँच संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री भगत के विरुद्ध विभागीय प्रचलित व्यवस्था के विपरित पत्राचार करने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14 के तहत 'निंदन' की सजा अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव उक्त लिए गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं :-

- i- श्री नवीन भगत, सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मधुपुर-01 को 'निंदन' की सजा दी जाती है।
- ii- उक्त आदेश के साथ श्री भगत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

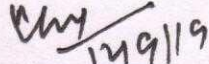
सरकार के संयुक्त सचिव।

12.09.19

ज्ञापांक-4/आ0-02-1006/2017. 3210

राँची, दिनांक- 12/9/19

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

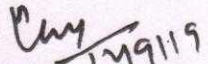

(अभय नन्दन अम्बष्ठ) -

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-02-1006/2017. 3210

राँची, दिनांक- 12/9/19

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

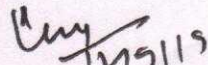

(अभय नन्दन अम्बष्ठ) -

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-02-1006/2017. 3210

राँची, दिनांक- 12/9/19

प्रतिलिपि- अवर सचिव, योजना-सह-वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

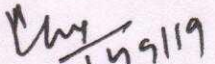

(अभय नन्दन अम्बष्ठ) -

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 4/आ0-02-1006/2017. 3210

राँची, दिनांक- 12/9/19

प्रतिलिपि- मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/ अवर सचिव (प्रशाखा 04 एवं 10)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

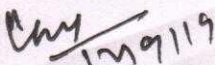

(अभय नन्दन अम्बष्ठ) -

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 4/आ0-02-1006/2017. 3210

राँची, दिनांक- 12/9/19

प्रतिलिपि- श्री नवीन भगत, सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मधुपुर-01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

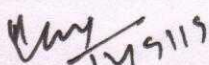

(अभय नन्दन अम्बष्ठ) -

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 4/आ0-02-1006/2017. 3210

राँची, दिनांक- 12/9/19

प्रतिलिपि- श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT), (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ) -

सरकार के संयुक्त सचिव।